

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल मेरठ।

पत्रांक/१८३४/ग्रा०अ०वि०/प०सं०-२९७/ठेके०-पंजी०/२०१८-१९ दिनांक ३०-०१-२०१९

**: पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सं० २९७ / २०१८-१९) :**

शासनादेश संख्या-३४६०/२३-७-०८-४१एम०एस०ए०/५४ टी०सी०-III दिनांक २८.७.२००८ के अनुसार अपेक्षित कागजात/जमानती राशि जमा करने के फलस्वरूप मै० जितेन्द्र कुमार कान्स्ट्रक्टर (प्रो० श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री तिलकचन्द), निवासी-ग्राम-दयालपुर, पो०-परीक्षितगढ, जिला-मेरठ को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल के अन्तर्गत भवन/मार्ग निर्माण हेतु "सी" श्रेणी में दिनांक ३०.६.२०२१ तक के लिये पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल मेरठ के लिये ही मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक ३०.६.२०२१ तक रहेगी एवं तत्पश्चात स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

उक्त फर्म के चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता कमशः दिनांक २४.१०.२०२० तथा हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक ०६.१०.२०१९ तक है, जिनकी निरन्तरता/वैधता बनाये रखने का दायित्व संबंधित फर्म का होगा, चरित्र/हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता उक्त निर्धारित समय से पूर्व न बढ़ पाने की स्थिति में पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

( अजय सिधल )  
अधीक्षण अभियन्ता,  
(रवि शर्मा)  
आशु लिपिक

**पत्रांक एवं दिनांक उक्त।**

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- मै० जितेन्द्र कुमार कान्स्ट्रक्टर (प्रो० श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री तिलकचन्द), निवासी-ग्राम-दयालपुर, पो०-परीक्षितगढ, जिला-मेरठ।
- २- समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल, मेरठ।
- ३- लेखालिपिक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कार्यालय मेरठ को जमानत राशि अंकन रू० १,००,०००.०० (रू० एक लाख मात्र) की एफ०डी०आर० सहित इस निर्देश के साथ कि जमानती राशि को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।



Receipt  
30-01-19  
[Signature]

(रवि शर्मा)  
आशु लिपिक  
अधीक्षण अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
मेरठ, परिमण्डल मेरठ।